(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2783–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 142/2013–14/अपील.

मुदस्सिर बेग पुत्र मकसूद बेग
निवासी उज्जैन म0प्र0
_____आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी ग्राम तिवाडिया
उप तहसील कानड जिला आगर
_____अनावेदक

– – – – – –

श्री काजी अखलाक एहमद कुरैशी, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 6 नवम्बर 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 25–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार कानड़ जिला आगर के समक्ष हिबा के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 11–1–13 से आवेदक का आवेदन निरस्त किया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील

प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25—9—13 निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 25—5—2015 के अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि दिनांक 19—4—12 को हिबा कलन्दर बेग पुत्र बशास्त बेग ने भूमि सर्वे नम्बर 508 रकबा 0.15 आवेदक के पक्ष में किया जिस पर वास्तविक रूप से कब्जा आवेदक का है। इसी आधार पर आवेदक ने नायब तहसीलदार को नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु नायब तहसीलदार ने बिना पटवारी प्रतिवेदन एवं मौका पंचानामा पर विचार किये बिना आवेदन निरस्त करने में अवैधानिकता की गई। यह भी तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी इन तथ्यों पर विचार न वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतः अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित प्रति अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक ने अपर आयुक्त के आदेश के दिनांक 25—5—15 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 20—8—15 को निगरानी पेश की है, जो 27 दिन से विलम्ब से प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदक ने अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25—5—15 की जानकारी दिनांक 4—7—15 को होने का लेख किया है। आवेदक को अपर आयुक्त

के आदेश की जानकारी किस प्रकार हुई यह लेख नहीं है इसके अतिरिक्त आवेदक को जानकारी दिनांक 4–7–15 प्राप्त होने के पश्चात आदेश की प्रमाणित प्रति लेने हेतु आवेदन 16–7–15 को क्यों लगाया तथा आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 27–7–15 प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 20–8–15 को निगरानी क्यों प्रस्तुत की है इसका कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। विलम्ब के संबंध में दिन–प्रतिदिन विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही निगरानी को समय–सीमा में मान्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में हिबा के आवश्यक तथ्य घोषणा, स्वीकृति कब्जे का परिदान प्रमाणित करने में अपर आयुक्त सहित तीनों अधीनस्थ न्यायालय में असफल रहा है। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील को सारहीन होने से निरस्त किया है। आवेदक के हिबा के बिन्दु पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। निगरानी समयबाधित एवं प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर